तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
10/4/2026	कोल [illegible] किया। अपीलार्थी संख्या 1,2,3,4,6 के विरुद्ध अपीलार्थी गण भाग्ये में और की पार्टी है। वादग्रस्त [illegible] भूमि गई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौला पाखरेड़ा [illegible] सोलिया की [illegible] 1.20 एकड़ 0.03 हेक्टेयर भूमि अपीलार्थी के पिता [illegible] के नाम दर्ज है। जो [illegible] मृत्यु अपीलार्थी के नाम दर्ज था। अपीलार्थी गण के नाम पर दर्ज होने से पूर्व - पूर्व वाले पर आमाल है। अतः अपीलार्थी विपक्षीगण के पक्ष में पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] मामला प्रारम्भिक गुणावगुण व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनता है। अतः मूल वाद 21/2024 के निर्णय तक उपरोक्त भूमि आराजी के अपीलार्थी [illegible] की यथास्थिति बनाये रखी। पत्रावली केवल क्रमवार होकर नम्बर के बाद ही आदेश सुनाया गया।	

आदेश 1,2,3,4,6 का [illegible] व [illegible] में नहीं होने [illegible] है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़